(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2018 अपील

II/अपील/उमरिया/भू.रा./2018/1553

1. राधेश्याम गुप्ता आत्मज शिवनारायण गुप्ता
2. विपिनचन्द्र गुप्ता आत्मज स्व0 शिवचन्द गुप्ता
3. विजय कुमार आत्मज स्व. शिवचन्द गुप्ता
4. अनिल कुमार गुप्ता स्व. शिवचन्द गुप्ता
5. अनीता गुप्ता पुत्री स्व. श्री रामशरण गुप्ता
6. कलावती गुप्ता पत्नी स्व. शिवमूर्ति गुप्ता
7. विनोद कुमार पुत्र स्व. शिवमूर्ति गुप्ता
8. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. शिवमूर्ति गुप्ता
9. राजेश कुमार पुत्र स्व. शिवमूर्ति गुप्ता
10. निर्मला गुप्ता पुत्री स्व. शिवमूर्ति गुप्ता
11. विमला गुप्ता पुत्री स्व. शिवमूर्ति गुप्ता
12. शीलू गुप्ता पुत्री स्व. शिवमूर्ति गुप्ता
13. मिथलेश गुप्ता पत्नी स्व हरिहर प्रसाद गुप्ता
14. अंजली गुप्ता पुत्री स्व. हरिहर प्रसाद गुप्ता
15. रेणुका गुप्ता पुत्री स्व. हरिहर प्रसाद गुप्ता
16. रोमेश गुप्ता पुत्र स्व. हरिहर प्रसाद गुप्ता

समस्त निवासीगण खलेसर उमरिया तहसील बांधवगढ थाना व जिलाउमरिया –अपीलार्थीगण

श्री मुकेश बेलापुरी अभि. द्वारा आज दि० 5/3/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16/3/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

एस.ई.सी.एल. उमरिया कॉलरी उमरिया

जिला– उमरिया द्वारा– प्रबन्धक

5/3/2018

अपर आयुक्त शहडोल संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 202/2013–14 अपील में पारित ओदश दिनांक 13–11–2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा –44–2 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

अपीलार्थीगण निम्नलिखित आधारों पर यह अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध अनचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह कि, अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी शिवनारायण गुप्ता ग्राम खलेसर की भूमि सर्वे

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/अपील/उमरिया/भू.रा./2018/1553

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-06-2018	आवेदक की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13-11-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि कलेक्टर शहडोल के द्वारा मुआवजा वितरण का आदेश दिये जाने पर मुआवजा वितरण किया गया यदि आवेदक को कोई आपत्ति थी तो उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकते थे, किन्तु नवीन जिला उमरिया गठित न होने तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । नवीन जिला गठित होने पर आपत्ति की गई । जिस पर कलेक्टर उमरिया द्वारा विवेचना में यह पाया गया कि एसईसीएल द्वारा विधिवत मुआवजा निर्धारण कर वितरण किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर उमरिया के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-2006 को स्थिर रखे जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	

... स्वामी थे. उनकी मृत्यु के